झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के संबंध में।**

राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। अधिनियम की धारा–8 में लाभुकों को खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। इस निमित्त भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा "खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015" अधिसूचित की गई है (परिशिष्ट – I)। इस नियमावली में संबंधित विपणन सत्र के लिए सुसंगत खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा और अधिनियम की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच का अन्तर को आपूर्ति न की गई मात्रा से गुणा करने पर आनेवाली राशि को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में गणना की गई है।

2. उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लाभुकों को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता की गणना संबंधित विपणन सत्र के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों को उस समय में उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न का मूल्य जो कि वर्तमान में एक रूपये प्रति किलोग्राम है, को घटाकर अन्तर राशि को आपूर्ति न की गई खाद्यान्न की मात्रा से गुणा करने पर आनेवाली राशि के रूप में निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. भविष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न के उपभोक्ता मूल्य बढ़ाने पर बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य के आलोक में अर्थात् खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य के 1.25 गुणा में बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य को घटाकर अन्तर राशि को आपूर्ति न की गई खाद्यान्न की मात्रा से गुणा करने पर आनेवाली राशि के रूप में निर्धारित की जायेगी।

4. इस निमित्त कोई भी लाभुक अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में खाद्यान्न न मिलने, कम खाद्यान्न मिलने इत्यादि की स्थिति में नोडल पदाधिकारी (संबंधित क्षेत्र के पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी) के माध्यम से अथवा सीधे लिखित आवेदन अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को दे सकते हैं। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम से संबंधित समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्पों, अधिसूचनाओं, नियमावली, आदेशों, परिपत्रों, पत्रों इत्यादि के आलोक में जाँचोपरान्त शिकायतों का निवारण करते हुए प्रभावित लाभुक को खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान, दोषियों के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि का आदेश पारित करेंगे।

5. उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश संख्या–4530, दिनांक 03.11.2016 (परिशिष्ट–II) के माध्यम से जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु अपनायी जानेवाली प्रक्रियाएँ निर्धारित की गयी है। संबंधित आदेश की कंडिका–4 (iii) के अनुसार शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी उक्त शिकायत की जाँच करते हुए उसका निवारण करेंगे। अगर विशेष परिस्थिति में शिकायत का निवारण निर्धारित अवधि में नहीं किया जा सका है तो सम्पूर्ण कारणों को दर्शाते हुए संबंधित जिला के उपायुक्त से एक माह के लिए अवधि विस्तार प्राप्त किया जा सकता है।

6. अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के अन्दर झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची में अपील कर सकते

हैं। साथ ही आयोग द्वारा संबंधित अपील का निवारण प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के लिए बजट शीर्ष–3456–सिविल पूर्त्ति–796–जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना/102–सिविल पूर्त्ति योजना/789–अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना–39–पात्र गृहस्थ योजना–06– अनुदान–52–सबसिडी (18S345600–796/102/789–390652) के अन्तर्गत यथावश्यक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान कर या उपलब्ध बजटीय प्रावधान से एकमुश्त राशि (सिर्फ एक बार) सभी जिलों को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में सभी जिला आपूर्ति कार्यालय में खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के निमित्त एक अलग से बैंक खाता खोला जायेगा जिसमें खाद्य सुरक्षा भत्ता हेतु एकमुश्त राशि रखी जायेगी एवं उक्त बैंक खाता से ही प्रभावित लाभुक को खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। प्रभावित लाभुक को खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान पारित आदेश से 90 दिनों के अन्दर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रभावित लाभुक को भुगतान किये गये खाद्य सुरक्षा भत्ता की राशि के समतुल्य राशि की वसूली जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा पारित आदेश से 90 दिनों के अन्दर दोषी व्यक्तियों से की जायेगी चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। वसूली की गयी राशि को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से उसी बैंक खाता में जमा करा दिया जायेगा जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान प्रभावित लाभुक को किया गया था। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के लिए जिलों को उपलब्ध करायी गयी एकमुश्त राशि ज्यों की त्यों बनी रहेगी एवं इसमें अलग से राशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

9. उक्त परिपेक्ष्य में सभी जिलों को दो लाख रूपये एकमुश्त (सिर्फ एक बार) की राशि खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के लिए आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार इस व्यवस्था से कुल रूपये 48,00,000.00 (रूपये अड़तालीस लाख) मात्र का एकमुश्त वित्तीय भार राजकोष पर पड़ेगा। यदि किसी जिले को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है तो उक्त राशि के आवंटन का निर्णय विभाग स्तर से लिया जायेगा।

10. प्रभावित लाभुक को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा सुनवाई किये गये आदेश के आलोक में खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान संबंधित जिला आपूर्ति कार्यालय के माध्यम से की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा लाभुक को नहीं किया जायेगा एवं इस निमित्त किसी भी प्रकार की राशि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को आवंटित नहीं की जायेगी।

11. उक्त संलेख पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक 01.10.2019 की बैठक के मद संख्या–02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अमिताभ कौशल),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:– खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (DGRO) 7–15/2015– /राँची, दिनांक –
प्रतिलिपि:– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

E:\Mukesh – 2019-20\4. Kunj Ji\Sanlekh\Sankalp For Food Security Allowance_Cabinet.Docx2

ज्ञापांकः– खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (DGRO) 7–15/2015– /राँची, दिनांक –
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इसे झारखण्ड राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (DGRO) 7–15/2015– /राँची, दिनांक –
प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची/सभी उप निदेशक (खाद्य)/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची एवं जमशेदपुर/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव, बजट प्रशाखा, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– खा०प्र० 01/रा०खा०सु० (DGRO) 7–15/2015– 3001 /राँची, दिनांक – 09/10/19
प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची/सभी अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी (DGRO) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/10/19

सरकार के सचिव।

E:\Mukesh = 2019-20\4. Kunj Ji\Sanlekh\Sankalp For Food Security Allowance_Cabinet.Docx3

परिशिष्ट - I

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2015/माघ 1, 1936
No. 46] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2015/MAGHA 1, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 48(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 8 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम " से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिप्रेत है;

(ख) "नोडल अधिकारी " से अधिनियम की धारा 14 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "हकदार व्यक्ति " से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन उस रूप में पहचाने गए पात्र गृहस्थी से संबंध रखने वाला और वैध राशनकार्ड रखने वाला, कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

3. खाद्यानों के आबंटन के लिए समय-सीमा.—केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अन्य आदेशों में उपबंधित समय सीमा का खाद्यानों के आबंटन तथा अधिनियम के अधीन हकदार व्यक्तियों को इन्हें उपलब्ध कराने के लिए पालन करेंगी।

4. खाद्यानों की आपूर्ति न होने की दशा में खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय.—(1) नोडल अधिकारी प्रत्येक मास के अंत में और प्रत्येक उचित दर दुकान का अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी के अनुसार प्रत्येक उचित दर दुकान के अधीन आने वाले हकदार व्यक्तियों को खाद्यानों के प्रदाय की प्रास्थिति का सत्यापन करेगा ;

(2) नोडल अधिकारी किसी हकदार व्यक्ति को खाद्यानों की हकदार मात्रा की आपूर्ति न किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा ;

(3) नोडल अधिकारी प्रत्येक मामले में जहां उचित दर दुकान में खाद्यानों की अनुपलब्धता या किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हकदार खाद्यानों की मात्रा की आपूर्ति न होने के प्रत्येक मामले में हकदार व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का सुनिश्चय करेगा ;

(4) नोडल अधिकारी, जहां खाद्यानों की किसी उचित दर दुकान डीलर द्वारा जान-बूझकर आपूर्ति नहीं की गई है, वहां जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास तुरंत शिकायत रजिस्टर करेगा ।

5. आपूर्ति की प्रास्थिति का सत्यापन.—राज्य सरकार पर्याप्त अवसंरचना की उपलब्धता के अधीन रहते हुए प्रत्येक उचित दर दुकान के संबंध में निम्नलिखित को करने और अभिलिखित करने के लिए इलेक्ट्रानिकी विधियों का उपयोग करेगी और ऐसे ब्यौरों को लोक डोमेन में रखेगी-

(i) मास के अंत में खाद्यानों के वितरण की प्रास्थिति का सत्यापन;

(ii) वितरण न होने के कारण, यदि कोई हों ।

6. खाद्य सुरक्षा भत्ते की संगणना.—हकदार व्यक्तियों को अनुज्ञेय खाद्य सुरक्षा भत्ते की रकम की संगणना उस विपणन सत्र के लिए सुसंगत खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा और अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच अंतर को आपूर्ति न की गई मात्रा से गुणा करके की जाएगी ।

7. अवधि जिसके भीतर खाद्य सुरक्षा भत्ते का संदाय किया जाना है.—नोडल अधिकारी उस मास जिसमें आपूर्ति नहीं की गई है के पश्चातवर्ती मास के तीसरे सप्ताह के अंत तक खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का सुनिश्चय करेगा ।

8. खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का ढंग.—(1) राज्य सरकार हकदार व्यक्तियों को बैंक खातों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का सुनिश्चय करेगी ।

(2) यदि किसी हकदार व्यक्ति ने बैंक खाता नहीं खोला है, तो ऐसे व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा भत्ते का आरंभिक संदाय नकद किया जाएगा:

परंतु नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ते के प्रारंभिक संदाय की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर बैंक खाता खोल लिया गया है ।

9. खाद्य सुरक्षा भत्ता जब संदेय नहीं है.—खाद्य सुरक्षा भत्ता किसी हकदार व्यक्ति को संदेय नहीं होगा जो मास के दौरान अपनी हकदारी का दावा करने के लिए उचित दर दुकान पर नहीं जाता है:

परंतु नोडल अधिकारी किसी व्यक्ति को उचित दर दुकान तक जाने से और अपनी हकदारी का दावा करने से, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, छूट दे सकेगा:

परंतु यह और कि खाद्य सुरक्षा भत्ता किसी हकदार व्यक्ति को संदेय नहीं होगा जो खाद्यानों की क्वालिटी के आधार पर या ऐसे किसी अन्य आधार पर अपनी हकदारी का दावा करने से इन्कार करता है ।

10. नोडल अधिकारी द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट.—नोडल अधिकारी नियम 4 में विनिर्दिष्ट खाद्यानों की आपूर्ति की प्रास्थिति के मासिक सत्यापन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट या इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को वितरण के मास के पश्चातवर्ती मास के पंद्रहवें दिन तक हकदार व्यक्तियों को खाद्यानों की आपूर्ति न किए जाने वाले मामलों, को उपदर्शित करते हुए उनके कारणों के साथ और जहां आवश्यक हो, की गई उपचारात्मक कार्रवाई, की एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

11. खाद्यानों की क्वालिटी के संबंध में शिकायत.—खाद्यानों की क्वालिटी के संबंध में कोई शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में उसकी शिकायत का समाधान करने के लिए की जाएगी, जिसकी जांच और उस पर विनिश्चय जिला शिकायत निवारण अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पंद्रह दिन से अनधिक अवधि के भीतर किया जाएगा ।

12. एक मास से अधिक हकदारी का वितरण.—राज्य सरकारों द्वारा एक समय में एक मास से अधिक की हकदारी की आपूर्ति की पद्धति का अनुसरण करने की दशा में हकदार व्यक्तियों को ऐसी हकदारियों की आपूर्ति के सत्यापन के लिए समुचित प्रबंध संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे ताकि हकदारी के अनुसार खाद्यानों के वितरण या हकदार खाद्यानों की मात्रा की आपूर्ति न किए जाने वाले मामलों की दशा में हकदार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय का सुनिश्चय किया जा सके।

13. राज्य सरकारों की निदेश जारी करने की सक्षमता.—राज्य सरकारें, यदि आवश्यक समझें, तो इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेंगी जो वह उचित समझें।

[फा. सं. 15-59/2013-एनएफएसए]

दीपक कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2015.

G.S.R. 48(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 39 read with Section 8 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—*(1)* These rules may be called the Food Security Allowance Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— *(1)* In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);

(b) "nodal officer" means an officer designated as such by the State Government under section 14 of the Act;

(c) "entitled person" means a person belonging to eligible households identified as such under the Act by the State Government and in possession of a valid ration card;

(2) words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Time limits for allocation of foodgrains.**—The Central Government and the State Governments shall adhere to the time limits provided in the Public Distribution System (Control) Order, 2001 or any other orders issued from time to time by Central Government, for allocation of foodgrains and making them available for distribution to the persons entitled under the Act.

4. **Payment of food security allowance in cases of non-supply of foodgrains.**—*(1)* The nodal officer shall verify, at the end of every month and at each fair price shop, the status of supply of foodgrains to the entitled persons covered under each fair price shop, as per their entitlement under the Act

(2) The nodal officer shall record in writing, the reasons for non-supply of entitled quantity of foodgrains to any entitled person.

(3) The nodal officer shall ensure payment of food security allowance to the entitled person in every case where entitled quantity of foodgrains has not been supplied due to non-availability of foodgrains at the fair price shop or for any unforeseen reasons.

(4) The nodal officer shall register a complaint with the District Grievance Redressal Officer forthwith where foodgrains have not been supplied due to any willful lapse of any fair price shop dealer.

5. **Verification of status of supply.**—The State Government shall use electronic methods, subject to availability of adequate infrastructure, for carrying out and recording the—

(i) month-end verification of status of distribution of foodgrains; and

(ii) reasons for non-distribution, if any, in respect of each fair price shop and place such details in the public domain.

6. **Computation of food security allowance.**—The amount of food security allowance admissible to entitled persons shall be computed by multiplying the difference between the 1.25 times the minimum support price of the relevant foodgrains for that marketing season and the prices specified in Schedule I to the Act, with the quantity of non-supply.

7. **Period within which food security allowance to be paid.**—The nodal officer shall ensure the payment of food security allowance by the end of the third week of the month following the month in which the non-supply occurred.

8. **Mode of payment of food security allowance.**—(1) The State Government shall ensure the payment of food security allowance to the entitled persons through bank accounts.

(2) If any entitled person has not opened a bank account, the initial payment of food security allowance to such person shall be made by cash:

Provided that the nodal officer shall ensure that a bank account is opened by such person within one month from the date of initial payment of the food security allowance.

9. **Food security allowance when not payable.**—The Food security allowance shall not be payable to an entitled person who does not visit the fair price shop to claim his entitlement during the month:

Provided that the nodal officer may exempt a person from visiting the fair price shop and claiming his entitlement, for reasons to be recorded in writing:

Provided further that the food security allowance shall not be payable to an entitled person who refuses to claim his entitlement on the ground of quality of foodgrains or on such other grounds.

10. **Summary report by Nodal Officer.**—The nodal officer shall, based on monthly verification of status of supply of foodgrains, specified in rule 4, submit a summary report to the District Magistrate, or any other officer authorised by the State Government for this purpose, by fifteenth day of the month following the month of distribution, indicating the cases of non-supply of foodgrains to the entitled persons, along with reasons and the remedial measure taken, wherever necessary.

11. **Complaint regarding quality of foodgrains.**—Any complaint relating to quality of foodgrains shall be made by the complainant to the District Grievance Redressal Officer in writing seeking redressal of his complaint, which shall be inquired into and decided by the District Grievance Redressal Officer or any other officer authorised by the State Government within a period not exceeding fifteen days.

12. **Distribution of more than one month entitlement.**—Where the State Governments follow the practice of supply of more than one month's entitlement at a time, appropriate arrangements for verification of supply of such entitlements to the entitled persons shall be undertaken by the concerned State Government so as to ensure distribution of foodgrains as per the entitlements or payment of food security allowance to eligible persons in case of non-supply of entitled quantity of foodgrains.

13. **State Governments competent to issue directions.**—The State Governments, if considered necessary, may issue such directions for the implementation of these rules, as deemed fit.

[F. No. 15-59/2013-NFSA]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

परिशिष्ट - II

56

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 5 राँची, मंगलवार, 12 पौष, 1939 (श०)

2 जनवरी, 2018 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

3 नवम्बर, 2016

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा शिकायतों के निवारण एवं सुनवाई के संबंध में ।

संख्या-खा.प्र.01/रा.खा.सु.(DGRO)/7-15/2015 - 4530, -- राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है । यह अधिनियम लाभुकों को भोजन का अधिकार प्रदान करती है । अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतित करने हेतु सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को निर्धारित दर पर ससमय निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय । इस परिपेक्ष्य में यह आवश्यक है कि अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों के बीच खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु योजना का व्यापक अनुश्रवण किया जाय तथा लाभुकों के वंचित रहने की स्थिति में उन्हें अपनी व्यथा व्यक्त एवं इसके निराकरण का सुनियोजित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय । इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी की

नियुक्ति/पदाभिहित एवं धारा 16 के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग के गठन/पदाभिहित किये जाने का प्रावधान है ।

2. अधिनियम के अन्तर्गत उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2853, दिनांक 26 मई, 2015 द्वारा राज्य में संबंधित जिला के अपर समाहर्ता को अपने क्षेत्रान्तर्गत जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है ।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए और इस अधिनियम के अधीन हकदारियों के प्रवर्तन के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

4. जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जिला स्तर पर अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जाँच करते हुए इसका निवारण करेंगे । प्राप्त शिकायतों की सुनवाई एवं उसके निवारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेंगी:-

(i) अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुक खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की स्थिति में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष लिखित रूप से शिकायत कर सकेंगे ।

(ii) लाभुक अपनी शिकायत आवंटन माह के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक माह के अन्दर कर सकते हैं । विदित हो कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत लाभुक आवंटित माह का खाद्यान्न उक्त माह एवं उसके बाद वाली माह तक प्राप्त कर सकते हैं । उक्त परिपेक्ष्य में यदि लाभुक को आवंटित माह अप्रैल का खाद्यान्न नहीं प्राप्त हुआ है तो वैसी स्थिति में 1 जून से 30 जून तक वे अपना शिकायत लिखित रूप से जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष कर सकते हैं । शिकायत के लिए निर्धारित एक माह की अवधि के पश्चात् की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(iii) शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी उक्त शिकायत की जाँच करते हुए उसका निवारण करेंगे । अगर विशेष परिस्थिति में शिकायत का निवारण निर्धारित अवधि में नहीं किया जा सका है तो सम्पूर्ण कारणों को दर्शाते हुए संबंधित जिला के उपायुक्त से एक माह के लिए अवधि विस्तार प्राप्त किया जा सकता है ।

(iv) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों से प्राप्त होने वाले शिकायतों के अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गठित, सतर्कता समितियाँ के सदस्यों से प्राप्त शिकायतों का भी निवारण करते हुए अधिनियम के उल्लघंन, निधियों के दुरूपयोग इत्यादि के संबंध में दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य खाद्य आयोग/विभाग/निदेशालय/ संबंधित जिले के उपायुक्त/अनुज्ञापन पदाधिकारी को अनुशंसा कर सकते हैं ।

54

(v) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के लिए कार्यालय का प्रकोष्ठ संबंधित जिला मुख्यालय में अवस्थित रहेगा ।

(vi) जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों के आलोक में पारित आदेश एवं शिकायतों के निवारण से संतुष्ट नहीं होने पर प्रभावित व्यक्ति 30 दिनों के अन्दर राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपील दायर करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं शिकायत निवारण से संबंधित निर्गत अन्य दस्तावेज को भी राज्य खाद्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

(vii) बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में दोषियों के विरूद्ध अधिनियम में प्रावधानित आर्थिक दण्ड हेतु जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा राज्य खाद्य आयोग को अनुशंसा की जायेगी ।

(viii) लाभुक या अन्य व्यक्तियों द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भ्रामक/छद्म/गलत शिकायतों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायेगी ।

5. संबंधित जिला के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि माहवार रूप से प्राप्त शिकायतों एवं निवारण की गई शिकायतों से संबंधित आँकड़े विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

ह०/-

विनय कुमार चौबे,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 5 -- 200